केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान

क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली–मारवाड़ (राज.) 306401

फा.सं.: आर.आर.एस.पी./10/पर./2010–11 दिनांकः 08.08.2013

पशु चराने की नीलामी हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान (काजरी) के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली के आर.एम. एण्ड एस. सी. क्षेत्र, पाली (250 हेक्टेयर) एवं आर. एम. एण्ड एस. सी. क्षेत्र, जाडन (70 हेक्टेयर) में उपलब्ध चरागाह में पशुओं (गाय, भैंस, बकरी इत्यादि) की चराई हेतु मुहर बंद निविदाएं दिनांक 16.08.2013 अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/पार्टी कार्यालय समय के दौरान सबंधित चरागाह प्रक्षेत्र का अवलोकन कर सकते है। निविदादाता निविदा खुद आकर निविदा बॉक्स डाल सकते है अथवा डाक/कुरियर द्वारा भेज सकते है। अंतिम दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार/विचाराधीन नहीं होगी। निविदा प्रपत्र (नीलामी के नियम व शर्तों सहित) इस कार्यालय से रुपये 100/– (रुपये एक सौ मात्र) के शुल्क का नकद भुगतान या ड्राफ्ट जो कि ICAR Unit CAZRI, Jodhpur के नाम देय हो, द्वारा दिनांक 16.08.2013 अपरान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। नीलामी से संबधित विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर भी उपलब्ध है, वेबसाइट से डाउललोड निविदा प्रपत्र के साथ शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न करें।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी

वास्ते निदेशक

संस्थान (काजरी) के आर0एम0एण्ड एस0सी प्रायोगिक प्रक्षेत्र, पाली (250 हेक्टेयर) तथा आर0एम0एण्ड एस0सी प्रायोगिक प्रक्षेत्र, जाडन (70 हेक्टेयर) में पशु चराने की नीलामी हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण का विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 16.08.2013 समय दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : 16.08.2013 समय दोपहर 3.00 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा कर्ता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी,
के0शु0क्षे0अ0सं0, क्षेत्रीय अनुसधान केन्द्र,
पाली–मारवाड़

सेवा में

मैसर्स / श्रीमान् ——————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

विषय : के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी), क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली के आर0एम0एण्ड एस0सी प्रायोगिक प्रक्षेत्र, पाली (250 हेक्टेयर) तथा आर0एम0एण्ड एस0सी प्रायोगिक प्रक्षेत्र, जाडन (70 हेक्टेयर) में पशु चराने की नीलामी के लिए अल्पकालीन निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली के आर0एम0एण्ड एस0सी प्रायोगिक प्रक्षेत्र, पाली (250 हेक्टेयर) तथा आर0एम0एण्ड एस0सी प्रायोगिक प्रक्षेत्र, जाडन (70 हेक्टेयर) में पशु चराने की नीलामी के लिए अल्पकालीन मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते सलंग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में दिनांक 16.08.2013 समय दोपहर 2.00 बजें तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा पहुॅच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

भवदीय

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी
वास्ते निदेशक

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	पशु चराने की अवधि
1.	**काजरी, क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र, पाली–मारवाड़ के आर.एम.एण्ड एस.सी. क्षेत्र पाली (250 हैक्टर)एवं आर.एम.एण्ड एस.सी. क्षेत्र जाडन(70 हैक्टर) में पशु चराने हेतु**	3 माह –गाय, बैल,बछड़े, बछड़ी, भैंस, पाड़ी (किसी भी समय अधिकतम 250 गाय ईकाई) चराने की अवधि तथा 4 माह – बकरियॉ चराने की अवधि

पशु चराने हेतु नीलामी के नियम व शर्तें -

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 1000.00 ICAR Unit -CAZRI, Jodhpur नाम से राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) अथवा नकद में इस संस्थान के प्रादेशिक अनुसन्धान स्थत्र, पाली–मारवाड़ के रोकडि़या को जमा करा कर इसकी रसीद निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. इच्छुक निविदादाता इस संस्थान के उपरोक्त क्षेत्रों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
3. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी,काजरी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली–मारवाड के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के उपर **पशु चराने हेतु नीलामी के लिए अल्पकालीन निविदा** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे खोली जाएगी ।
4. सफल अधिकतम दर निविदा दाता /पार्टी को नीलामी के पश्चात पशु चराने का समय प्रातः 8.00 से सांय 5.00 बजे तक रहेगा ।
5. नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का 25 प्रतिशत भाग ठेके की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं शेष राशि शीघ्रातिशीघ्र पशु चराने का आदेश की दिनांक से पूर्व जमा कराने होंगे ।
6. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म अधीक्षक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
7. सफल अधिकतम दर निविदादाता के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि को नीलामी के पश्चात पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
8. निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
9. निविदादाता को इन नियम व शर्तो को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउन लोड की जा सकती है ।
10. अन्य शर्ते नीलामी के दिन निविदा खोलने से पूर्व संस्थान की समिति द्वारा सूचित की जाएगी ।
11. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
12. नीलामी की स्वीकृत शर्तो में से किसी भी शर्त का स्वीकृत सफल अधिकतम दर ठेकेदार/पार्टी द्वारा पशु चराने की अवधि के दौरान उल्लंघन किये जाने पर निदेशक को इस नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार/पार्टी द्वारा इस संस्थान में जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
13. ठेकेदार, उसके मजदूरों अथवा पशुओं द्वारा पशु चराई हेतु निर्धारित क्षेत्र एवं तारबंदी को या उसके आस–पास होने वाले किसी भी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
14. सफल अधिकतम निविदादाता / ठेकेदार को नीलामी की अधिकतम कुल राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (नीलामी की अधिकतम राशि का 10 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तो की अनुपालना व पशु चराने दी गई अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी।
15. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेशक, के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।
16. पशु चराने की अवधि नीलामी की दिनांक से अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।
17. पशुओं को चराने की अवधि उपरोक्त विवरण में दर्शाये अनुसार/आदेशानुसार होगी ।
18. सफल अधिकतम निविदादाता / ठेकेदार द्वारा पशु चराने की कुल धन राशि जमा कराने पर ही पशु चराई शुरू की जा सकेगी
19. चराई हेतु जानवरों का प्रवेश व निकासी निर्धारित गेट से ही करानी होगी एवं इस अवधि में आवारा/अनाधिकृत पशु चराई को रोकने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
20. ठेकेदार को जानवरों की चराई क्षेत्र में देखरेख एवं संस्थान के प्रायोगिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपना आदमी रखना होगा ।
21. चराई क्षेत्र से ठेकेदार का कोई भी व्यक्ति पेड़, पौधा, झाड़ियॉ आदि नहीं काटेगा एवं गोबर इत्यादि उठाकर नहीं ले जा सकेगा ।
22. प्रक्षेत्र के प्रायोगिक/अनुसन्धान/चराई निषेध क्षेत्र में किसी प्रकार का नुकसान होने की अवस्था में चराई तुरन्त प्रभाव से रोक दी जाएगी एवं किसी प्रकार को पुर्नःभुगतान/सुरक्षा राशि नहीं लौटाई जायेगी ।
23. निविदादाता को निविदा प्रपत्र लेते समय निविदा में अंकित किये जाने वाले नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड,आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा अन्य मान्य पहचान पत्र दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
24. नीलामी की न्यूनतम आरक्षित दर आर.एम.एस.सी. क्षेत्र पाली के लिये **रु.1,01,000/–** तथा जाडन के लिये **रु.6,000/–** है ।
25. नीलामी निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी),जोधपुर की अनुमति उपरान्त ही सफल समझी जायेगी ।

फार्म अधीक्षक
वास्ते निदेशक

पशु चराने की नीलामी की अन्य शर्तें एवं नियम

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. पशु चराने की नीलामी हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 1000/–अमानत राशि नकद या ड्राफ्ट द्वारा जो कि ICAR UNIT- CAZRI JODHPUR के नाम देय हो संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें । पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।
6. पशु चराने की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुक्सान न पहुॅचाए। होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही पशु चराने होंगे ।
8. पशु चराने की कार्यावधि के दौरान ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर, पशु इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का होगा ।
10. पशु चराने नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को पशु चराने की कार्यावधि के दौरान नीलामी के नियम व शर्तो की अनुपालना तथा नीलामी की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
11. पशु चराने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र पाली के अधीक्षक अथवा सहायक प्रशासकीय अधिकारी को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. काजरी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के चराई क्षेत्र/ परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुक्सान पहुॅचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

अधीक्षक
वास्ते निदेशक